

ज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कंचरूकंवर पत्नी मेगदान जाति चारण, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		हीरदान पुत्र मंगलदान जाति चारण, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (11)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 121, 123) 251-ARTM मुकदमा नम्बर 53/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

15.01.2025

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा ~~121, 123~~ ^{251-A RTA} ~~राजस्व अधिनियम~~ के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वारंते जवाब आईन्दा दिनांक 07.03.25 को पेश हो।

Shiv
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24.3.25 को पेश हो।

24.3.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 3.4.25 को पेश हो।

3/4/2025

पत्रावली आज पेश हुई, उपयुक्त अर्द्ध उप. विप्रार्थी से 1, 2, 3/1 से 3/4, 3/6 से 3/8, 4 से 10 को जारी नोटिस का तामील प्राप्त, विप्रार्थी से 1 से 3/8 की उ.त. वकील अजयानदास गोपल के द्वारा ली गयी, पत्रावली वारंते 1 से 3/8 के वकालतनामा/प्रवाष, विप्रार्थी से 11 की तलब लभा रोष का इलतवा किया जाकर पत्रावली दि. 13/5/2025 को पेश हो। पुनरुच्य तहसील रिपोर्ट सहित 13/5/2025 को पेश हो।

विप्रार्थी ल. 1 से 3/8 तक की अगस्टे रिजल्ट

Shiv
3-4-25



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अ.
हुक्म
में

09.02.26

पत्रावली नेशा। बाकुलाल उपस्थित।
100 शित से पूर्ति में मोंग रिपोर्ट प्राप्त।
पत्रावली नेशे विप्रार्थी संख्या 1.2, 3-1,
3.5, व 3.7 के जवाब तथा विप्रार्थी संख्या
11 की प्रामिती हेतु दिनांक 09.02.26 को
पेश हो।
उपस्थित अधिकारी
शिव

09-02-26

पत्रावली नेशा। बाकुलाल उपस्थित।
पत्रावली में उपलब्ध को युक्त एवं पत्रावली
का अवलोकन किया गया। तद्विषयक शिव
से प्राप्त मोंग रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट
है कि वर्तमान में प्रार्थनी व विप्रार्थी के
मध्य समझौता हो चुका है तथा सहमति
अनुसार खसरा नंबर 314 व 1337/1289
में भूमि राखे हेतु समर्पण की जा चुकी
है, जिसका उपयोग वर्तमान में राखे हेतु
ही किया जा रहा है। भूमि प्रार्थनी द्वारा
आवागमन हेतु रास्ता चारा जल है ~~के~~
जिनके लिए वर्तमान में भूमि समर्पित की
जाकर रास्ता उपलब्ध हो रहा है। अतः
प्रार्थनी द्वारा शस्ते हेतु चारा जल अनुलोम
प्रार्थनी को प्राप्त हो जाने से इन्हें पत्रावली
का कोई औचित्य नहीं होने से इसी स्तर
पर पत्रावली खारिज की जाती है।
पत्रावली नंबर से कम लेकर वापिस
दफ्तर हो।

उपस्थित अधिकारी
शिव